14/6/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षान द्वारा पूर्व में बहस समाप्त की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के दादा के नाम से दर्ज पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा बनता है अगर अप्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी बेचान कर दी तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी अतः अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी को 1972 में आवंटित हुई है। अतः इस आराजी में अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी दावा संस्थित होने से पूर्व दिनांक 16/3/18 को चम्पा पत्नी ..... को बेचान की जा चुकी है। अतः वर्तमान में दावे व प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य न होने से अ. प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन मूलभूत बिंदुओं प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन कार्यालय ..... नगरपालिका क्रमांक 320 दिनांक 30/1/72, नोटिस दिनांक 8/12/83 व चालान (सीऐफ. 2581), 2582 से प्रश्नगत आराजी का आवंटशुदा होना प्रतीत होता है जाहिर है प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति न होकर स्वयं अर्जित की श्रेणी में आती है जिसमें प्रथमदृष्टया प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता। बैयनामा दिनांक 16/3/18 द्वारा प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी द्वारा वाद/प्रार्थना पत्र संस्थित होने की दिनांक 22/3/18 से पूर्व में बेच की जा चुकी है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के खिलाफ है। वर्तमान में ~~केवल~~ अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी का जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान हो जाने के पश्चात एवं प्रश्नगत आराजी पैतृक साबित न होने की सूरत में अधिवक्ता प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि किस प्रकार उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के बिंदुत्रय प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णीत होने से दिनांक 22/3/18 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)